न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : राजेश कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 116 / 2023

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2023 / 181

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थी**

प्रार्थी	विप्रार्थी
मदाराम पुत्र जवाराराम जाति भील निवासी बिठूजा तहसील–पचपदरा व जिला बालोतरा	1.पुष्पादेवी पत्नी अशोककुमार जाति सोनी निवासी बालोतरा 2.रणछोड़राम पुत्र मोती जाति प्रजापत 3.केवलराम पुत्र सोनाराम 4.पुखराज पुत्र सोनाराम 5.हरकू पत्नी सोनाराम जाति माली निवासी बिठूजा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 6.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 7.फुसीदेवी पत्नी नाथूराम जाति प्रजापत निवासी बिठूजा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थिति–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी

2.विप्रार्थी संख्या 01 से 05 एकपक्षीय

3.विप्रार्थी संख्या 06 व 07 अनुपस्थित।

:निर्णय:

दिनांक– 20.6.2024

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी मदाराम पुत्र जवाराराम जाति भील निवासी बिठूजा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 377 / 199 क्षेत्रफल 1.0187 हैक्टेयर मौजा [illegible] तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी के खातेदारी [illegible] खसरा संख्या 197 क्षेत्रफल 1.7401 हैक्टेयर,खसरा संख्या 198 क्षेत्रफल 2.3279 हैक्टेयर व खसरा संख्या 194 क्षेत्रफल 2.2824 भूमि में से परिशिष्ट अ में दर्शाए ए से डी तक 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम करने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.01 16:24:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

02. प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री रूगाराम कड़वासरा द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से दिनांक 02.6.2023 को वकालतनामा पेश किया। विप्रार्थी संख्या 02 अधिवक्ता को जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया तथा निर्धारित सुनवाई तारीख पर उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई। विप्रार्थी संख्या 06 तहसीलदार पचपदरा ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल है। तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में विप्रार्थी संख्या 07 की खातेदारी भूमि में से सहमति के आधार पर रास्ता प्रस्तावित किए जाने पर उक्त खातेदार को विप्रार्थी पक्षकार बनाया गया। विप्रार्थी संख्या 01 व 3 से 5 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई।

03. तत्पश्चात् प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से डी तक यानि विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 197 क्षेत्रफल 1.7401 हैक्टेयर,खसरा संख्या 198 क्षेत्रफल 2.3879 हैक्टयर,खसरा संख्या 194 क्षेत्रफल 2.2824 हैक्टेयर मौजा होटलू में से प्रार्थी के खातेदारी खेत संख्या 377/199 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टेयर तक वंरग पीला के चौड़ा रास्ता 30 फीट भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया था। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अतः तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थी को आपति नहीं है। प्रार्थी प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

04. हमनें विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 197 क्षेत्रफल 1.7401 हैक्टेयर,खसरा संख्या 198 क्षेत्रफल 2.3879 हैक्टयर, खसरा संख्या 194 क्षेत्रफल 2.2824 हैक्टेयर मौजा होटलू में से 30 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। विप्रार्थी संख्या 06 तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.01 16:24:57 IST
Reason: SelfAttested

i. ग्राम होटलू तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 377/199 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टयर किस्म बा.अ.+ भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 197,194,198 व 376/193 में से भूमि प्रस्तावित की गई हैं तथा प्रस्तावित रास्ता जो कि निकटतम एवं उपयुक्त है। प्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 377/199 में कटाण रास्ता तक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

पंहुच हेतु निकटतम अन्य कोई रास्ता नहीं है,जहां प्रस्तावित किया जा सके। प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं होता बताया।

05. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

7.चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 377/199 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थी द्वारा सिद्ध किया गया हैं। तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट अ में प्रदर्शित अनुसार उक्त रास्ता बालोतरा समदड़ी रोड़ से रेल्वे लाईन के नीचे आर.यू.बी तक मौके पर मार्ग कदीमी चल रहा है। उक्त आर.यू.बी से खसरा [illegible] तक फर्द में न्यायालय [illegible] से सार्वजनिक रास्ता घोषित किए जाने पर खसरा संख्या 701/195 [illegible] हुआ है। हस्तगत प्रकरण में इसी कटान मार्ग से जोड़कर [illegible] लिए संलग्न परिशिष्ट ब अनुसार रास्ता प्रस्तावित है,जो कि निकटतम व उपयुक्त है। ऐसी सूरत में प्रार्थी यह भली भांति साबित करने में सफल रहा है कि उसे [illegible] की आत्यंतिक आवश्यकता है तथा वैकल्पिक साधन का अभाव है तथा मौका फर्द के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 197 के खातेदार को छोड़ते हुए शेष खसरान संख्या 194,198 व 376/193 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.01 16:24:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

खातेदारो की सहमति के आधार पर रास्ता प्रस्तावित किया है,उक्त खसरान के खातेदारों द्वारा अपनी सहमति में मौका फर्द पर हस्ताक्षर/अगुष्ठ निशान किए है। इससे स्पष्ट है कि उक्त विप्रार्थी पक्ष को प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करवाने में आपति नहीं है। इस संबध में तहसीलदार पचपदरा ने अपनी मौका फर्द रिपोर्ट में भी स्पष्ट टिप्पणी की है कि प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट ब अनुसार रास्ता स्वीकृत किए जाने पर विप्रार्थी को आपति नहीं है। विप्रार्थी संख्या 02 (पुष्पादेवी) अधिवक्ता द्वारा दिनांक 02.6.2023 को वकालतनामा पेश किए जाने के उपरांत भी लगभग 11 माह से अधिक समय लिए जाने के बावजूद भी प्रार्थी के आवेदन पत्र के विरूद्व में जवाब पेश नहीं किया। निर्धारित सुनवाई तारीख को उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विप्रार्थी संख्या 02 को भी प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किए जाने की मौन स्वीकृत है। क्योकि यदि आपति होती तो उजर-एतराज पेश करते,लेकिन विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा ऐसा नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थी का आवेदन-पत्र स्वीकार योग्य है।

8.उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट अ अनुसार ए से बी रास्ता बरंग लाल खसरा संख्या 197 मे से 0.0648 हैक्टयर,खसरा संख्या 194 मे से 0.0555 हैक्टयर,खसरा संख्या 198 मे से 0.0565 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 376/193 मे से 0.0181 हैक्टयर भूमि की सार्वजनिक रास्ता हेतु खसरा संख्या 197 की डी.एल.सी. दर-16680/-खसरा संख्या 194 की डी.एल.सी. दर-14286/-खसरा संख्या 198 की डी.एल.सी. दर-14544/-एवं खसरा संख्या 376/193 की डी.एल.सी.दर-4660/-प्रति बीघा के अनुसार प्रतिकर हेतु देय कुल राशि-100340/-रूपये बनती है,जिसको प्रार्थी राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश :-

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम होटलू तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 377/199 में पहुंच हेतु खसरा संख्या 197 मे से 0.0648 हैक्टयर,खसरा संख्या 194 मे से 0.0555 हैक्टयर,खसरा संख्या 198 मे से 0.0565 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 376/193 मे से 0.0181 हैक्टयर में से संलग्न नक्शे मार्क AB अनुसार भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 100340/-(अक्षरे एक लाख तीन सौ चालीस) रूपयें की राशि विप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 7 को उनके हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.01 16:24:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अनुसार आनुपातिक रूप से भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित करावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेखा भंडार हो।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 20.6.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.01 16:24:57 IST
Reason: SelfAttested